


कार्यालय नगर निगम, अजमेर

—: पटेल मैदान मे हाई मास्ट लगाने का कार्य:—
निविदा प्रपत्र एवं शर्तें


आयुक्त

नगर निगम अजमेर


फर्म का नाम :-.....
निविदा प्रपत्र खरीदने की दिनांक एवं समय :- 27.3.15 समय दोपहर 1:00 बजे तक
निविदा भरकर देने की दिनांक एवं समय :- 30.3.15 समय दोपहर 12:00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक एवं समय :- 30.3.15 समय दोपहर 2:00 बजे
अनुमानित व्यय राशि :- 17.21 लाख (अक्षरे सतरह लाख इक्कीस हजार मात्र)
अमानत राशि :- रु 34500/-
निविदा शुल्क :- 1000/- रसीद संख्या पुस्तक संख्या दिनांक
नकद धरोहर राशि का विवरण :-
रसीद संख्या पुस्तक संख्या दिनांक राशि 34500/-
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की स्थिति में :-
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक बैंक का नाम राशि 34500/-

1. निविदा द्वि प्रक्रीमी होगी तकनीकी बिड लिफाफा अलग होगा तथा वित्तीय बिड लिफाफा अलग होगा। दोनो लिफाफे अलग-अलग सील कर एक अन्य बडे लिफाफे में रखे जायेगे तथा बडा लिफाफा भी सील होगा। पहले तकनीकी लिफाफा खोला जायेगा उसका परीक्षण होगा तथा तकनीकी रूप से सफल निविदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

1. तकनीकी निविदा बिड लिफाफा मे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगे ।
 - a. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - b. धरोहर राशि जमा कराने की ड्राफ्ट /नगद/बैंकर्स चैक
 - c. निविदा शुल्क भुगतान की रसीद/ड्राफ्ट
 - d. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - e. स्थायी पता प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेज
 - f. पेन कार्ड प्रमाण पत्र की प्रति।
 - g. ब्लड रिलेशन नही होने बाबत् 10/- रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र
 - h. मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय जयपुर से प्राप्त ए क्लास में पंजीयन प्रमाण पत्र।
 - i. निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न हस्ताक्षर करा हुआ ऐक्सचर A, B, C, D
 - j. निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित
2. सभी निविदा दाताओं पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नगरपालिका नियम व लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 के प्रावधान लागू होंगे ।

3. अनुमानित संख्या कम ज्यादा की जा सकती है जिसका आनुपातिक भुगतान होगा।
4. निविदादाता को धरोहर राशी राशि रु 34500/- नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो संबंधित निविदादाताओं द्वारा आयुक्त, नगर निगम, अजमेर के नाम हो प्रस्तुत करनी होगी।
5. निविदा प्रपत्र निगम कार्यालय विद्युत शाखा से प्राप्त करना होगा। निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है जिसका मूल्य पृथक से ड्राफ्ट द्वारा देय होगा। तार, डाक व ऑनलाईन से प्रेषित निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. आपके द्वारा निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये दस्तावेज सही नही पाये जाने पर आपकी निविदा कभी भी निरस्त की जा कर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार महापौर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय का होगा।
7. निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को सबलेट/स्थानान्त्रित नही कर सकेंगा।
8. सफलतम निविदादाता की दरें स्वीकृत की जाती है, तो आदेश देने की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर कार्य संपादित करने की व्यवस्था करनी होगी।
9. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जावेगा पेंसिल से भरें प्रपत्र पर विचार नही किया जावेगा। निविदा में किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि एवं परिवर्तन नही किये जाने चाहिए कोई भी ओवरराइटिंग/कटिंग नही की जानी चाहिए यदि कोई संशोधन करना हो तो वह अत्यन्त स्पष्ट होना चाहिए तथा उस पर निविदादाता का लघु हस्ताक्षर होने चाहिए। दर कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नही होगी। निविदा खोले जाने वाली कमेटी द्वारा स्पष्ट दर अकिंत की जाकर उल्लेख किया जाएगा। जो निविदा दाता को मान्य होगा।
10. निविदादाता को प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर करने होंगे।
11. नगर निगम किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है यह आवश्यक नही है की वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकता है।
12. यदि निविदादाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि कार्य प्रारम्भ होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
13. धरोहर राशी कुल अनुमानित मूल्य की 2 प्रतिशत होगी जो नकद/बैंकर चैक/ड्राफ्ट में देय होगी। यदि किसी फर्म की कोई राशि नगर निगम कार्यालय में पूर्व में जमा है तो उसे धरोहर /प्रतिभूति राशि पेटे नही माना जायेगा। उपरोक्त धरोहर राशि के निविदा के अन्तिम रूप से स्वीकर किये जाने के बाद में नियमानुसार विफल निविदाकार को प्रत्यर्पित कर दी जावेगी। जबकि सफल निविदादाता के मामले में इसे प्रतिभूति के एक भाग में मान लिया जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि वास्तविक राशि के 5 प्रतिशत होगी।
14. दरें सभी प्रकार के कर सहित मानी जावेगी। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशी देय नही होगी।
15. कार्य के दौरान कहीं भी किसी तरह की दुर्घटना/जान माल कि हानि होने पर ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदाई होगा। नगर निगम का कोई भी दायित्व नही होगा।
16. ठेकेदार को लेबर ला की पालना करनी होगी।



17. समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान नगर निगम अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देश /आदेश को मानने अथवा उसकी पालना करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
18. ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी लगाने होंगे, यदि ठेकेदार के कर्मचारियों की कार्य के दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
19. महापौर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम युक्ति-युक्त कारण सहित इस चालू ठेके को सात दिवस के नोटिस पर निरस्त कर सकेंगे। इस निरस्तकरण के कारण कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
20. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र अजमेर होगा।
21. केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये एवं परित सेवाकार का भुगतान स्वयं ठेकेदार को करना होगा।
22. निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने का संविदा को असन्तुष्ट ढंग से पूर्ण करने पर नगर निगम द्वारा बैंक गारन्टी /प्रतिभूति/अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में महापौर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, अजमेर का निर्णय अन्तिम होगा।
23. सफलतम निविदादाता को 1000/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
24. मैन लाईन एवं लाईट तक अण्डरग्राउण्ड केबिल को पाईप में डालना आदि का कार्य स्वयं ठेकेदार को कराना होगा। निगम द्वारा अलग से भुगतान देय नहीं होगा।
25. नगर निगम द्वारा बताए गए स्थान पर अण्डर ग्राउण्ड पाईप को जमीन खोदकर डालना, पुनः भराई करना, यदि भराई हेतु सी.सी का कार्य स्वयं ठेकेदार को कराना होगा। निगम द्वारा अलग से भुगतान देय नहीं होगा।
26. केबिल नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाने पर केबिल डालने का कार्य स्वयं ठेकेदार को कराना होगा। जिसका अलग से भुगतान देय नहीं होगा।
27. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
28. सभी आर्डरों की दरें भरना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं स्वत ही निरस्त मानी जावेगी। उपयोग में काम आने वाला सामान, अन्य उपकरण, संसाधन अनुबंधित ठेकेदार का ही होगा। निगम द्वारा अलग से भुगतान देय नहीं होगा।
29. सफलतम निविदादाता को सभी प्रकार के उपकरण, साधन तार इत्यादि स्वयं को लगाने होंगे।
30. खुले केबिल/वायर के जोईन्ट्स पर टेप लगाकर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी। ठेकेदार की लापरवाही से खुले तारों द्वारा करंट की दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
31. ठेकेदार द्वारा कार्य संतोष जनक न होने पर महापौर/मुख्यकार्यकारी अधिकारी द्वारा 3 नोटिस देने पर ठेका/निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगा। उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्युरिटी)एव जमा राशी निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
32. निविदा दाता द्वारा न्यूनतम दर आने पर यदि निगम कार्य आदेश देती है तो उसे अनुबंधित दर पर कार्य करना होगा। अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्युरिटी) निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
33. सफलतम निविदादाता द्वारा लगाए गए उपकरण व लाइटो कि 3 वर्ष कि वा को 3 वर्ष का रख रखाव करना होगा। रख रखाव का निगम द्वारा अलग से भुगतान देय नहीं होगा। 3 वर्ष तक कुल राशी का 10 प्रतिशत निगम में जमा रहेगी। यदि निविदादाता उपरोक्त कार्य करने में असमर्थ होता है तो उसकी राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी। ठेकेदार के हर्ज खर्च (Risk & Cost) पर नगर निगम कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।
34. निविदा दाता को बिना सूचना दिये निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्यकार्यकारी अधिकारी का होगा।





35. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सी.ई.ओ./, महापौर द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
36. निविदा खोलने के बाद प्रस्ताव वापस लेता है या उपन्तरण करता है या करार नहीं करता है, प्रति भूति जमा नहीं कराता है तो बयाना राशि जब्त की जायेगी।
37. लाईटे यदि परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई टूट-फूट होती है तो उसकी जिमेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
38. High Power LED Flood Light 220W Suitable to replace 2x400w MH/HPSV flood light PWD BSR 2013 के ग्रुप 2 कम्पनी कि लगानी होगी। (रिक्त 203200-203400)
39. निविदा दाता द्वारा अलग-अलग आइटमों की दर आने पर अनुमानित संख्या के आधार पर राशी निकालकर न्यूनतम राशी के अनुसार निविदा दाताओं के क्रम की गणना की जावेगी।
40. सभी आइटमों की दरें भरना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं स्वत ही निरस्त मानी जावेगी।
41. यदि सफलतम निविदादाता/ ठेकेदार कार्य आदेश में निर्धारित समय अवधि से पूर्व बिना किसी पर्याप्त कारण के वित्तीय अनुसूची/ वित्तीय स्वीकृत दर पर कार्य करने में असफल रहता है तो ठेकेदार की प्रतिभूति राशी जब्त करने के अलावा शेष अवधि के लिए ठेकेदार के हर्जे खर्चे (Risk & Cost) पर नगर निगम कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।
42. नगर निगम द्वारा दिए कार्य आदेश लाईटों का टेस्ट certificate प्रस्तुत करना होगा।
43. किसी कारणवश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नही हो पाता है तो उसका लिखित में कारण बताते हुए, मुख्यकार्यकारी अधिकारी से अग्रिम दिनों कि अनुमति लेनी होगी।
44. सफलतम निविदादाता/ आपूर्तिकर्ता को सामान आपूर्ति के साथ माल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माता कम्पनी/डिलर द्वारा जारी पत्र के साथ सामान कार्यालय नगर निगम अजमेर को प्रेषित करना होगा।
45. आपूर्तिकर्ता को लाईटे आपूर्ति से पूर्व एनेक्सर-एफ मे अंकित मेक कम्पनी व स्पेशिफिकेशन का सामान लगाना होगा।

नोट- उपरोक्त सभी शर्तें मेरे द्वारा भली भांती पूर्ण रूप से पढ़ ली/समझ ली गई हैं मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।


निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम :-

वित्तीय निविदा प्रपत्र

:- :पटेल मैदान मे हाई मास्ट लगाने का कार्य: :-


आयुक्त

नगर निगम अजमेर

फर्म का नाम :-

निविदा प्रपत्र खरीदने की दिनांक एवं समय :- 27.3.15 समय दोपहर 1:00 बजे तक

निविदा भरकर देने की दिनांक एवं समय :- 30.3.15 समय दोपहर 12:00 बजे

तक निविदा खोलने की दिनांक एवं समय :- 30.3.15 समय दोपहर 2:00 बजे

अनुमानित व्यय राशि :- 17.21 लाख(अक्षरे सतरह लाख इक्कीस हजार मात्र)

अमानत राशि :- रु 34500/-

निविदा शुल्क :- 500/- रसीद संख्या पुस्तक संख्या दिनांक

नकद धरोहर राशि का विवरण :-

रसीद संख्या पुस्तक संख्या दिनांक राशि 34500/-

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की स्थिति में :-

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक बैंक का नाम राशि 34500/-

G -Schedule

क्र. स.	आइटम	अनुमानित संख्या	दर	राशी
1	SITC of high mast lighting system (as per CP3-TR7/1996 of ILE, UK) consisting of totally hot dip galvanised by single dipped method high mast, lantern carriage suitable for up to 12 nos luminaries with welded arm, mast head frame assembly with full cover, aviation obstruction lights, double drum type self sustaining winch, integral power tool accesible from door with padlocking arrangement (winch motor with control circuit) hot dipped galvanised heavy duty pipe lightening finial, suitable ropes (AISI 316, 7 / 19 costruction), EPR insulated PCP sheathed trailing cable, outdoor type control panel for auto on / off, reverse / forward motor operation and CC foundation of M - 25 grade complete as required. The mast is constructed from mild steel plates (as per IS 5986 Gr. 510) cut and folded to form a polygonal section, telescopic jointed and welding as per BS 5135. The complete work shall be supervised and certified by the manufacturers for satisfactory supply, erection, testing and commissioning of high mast. (See table E - 13 for specs.) 20.0 Mtr Hm (in 2 section)	2	267750	535500